

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।
*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 17/07/26

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48 (नगर विकास एवं आवास विभाग), मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0008-एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड-48-2217-05-001-0008 के अन्तर्गत वेतनादि / बढ़े हुए महंगाई भत्ता एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल राशि ₹1554796.00 (पंद्रह लाख चौवन हजार सात सौ छियानवे रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48 (नगर विकास एवं आवास विभाग), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0008-एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड- कोड-48-2217-05-001-0008 के अन्तर्गत वेतनादि/ बढ़े हुए महंगाई भत्ता एवं अन्य विषय शीर्षों में ₹1554796.00 (पंद्रह लाख चौवन हजार सात सौ छियानवे रुपये) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	0008.01.01 वेतन	0008.01.03 जीवन यापन भत्ता	0008.01.04 मकान किराया भत्ता	0008.01.05 परिवहन भत्ता	0008.01.06 चिकित्सा भत्ता	0008.14.01 किराया महसूल एवं कर	0008.13.01 कार्यालय व्यय	0008.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0008.11.01 यात्रा व्यय	कुल राशि (3 से 11 तक का जोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मुख्य अभियंता का कार्यालय, आधारभूत संरचना एवं परिवहन (दक्षिण बिहार उपभाग)।	0.00	4078.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4138.00	8276.00
2	मुख्य अभियंता कार्यालय, जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सिवरेज (उत्तर बिहार उपभाग)	457200.00	288220.00	91440.00	39000.00	8000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	923860.00
3	मुख्य अभियंता कार्यालय, जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सिवरेज (दक्षिण बिहार उपभाग)।	0.00	25344.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25824.00
4	अधीक्षक अभियंता, नगर विकास अंचल-1 पटना (पटना नगर निगम क्षेत्र)।	0.00	27024.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27864.00

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	0008.01.01 वेतन	0008.01.03 जीवन यापन भत्ता	0008.01.04 मकान किराया भत्ता	0008.01.05 परिवहन भत्ता	0008.01.06 चिकित्सा भत्ता	0008.14.01 किराया महसूल एवं कर	0008.13.01 कार्यालय व्यय	0008.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0008.11.01 यात्रा व्यय	कुल राशि (3 से 11 तक का जोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल, तिरहुत मुजफ्फरपुर।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	60000.00
6	कार्यपालक अभियंता, नगर विकास गुण-नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा।	0.00	12300.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12540.00
7	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास प्रमंडल, पटना सिटी (पटना नगर निगम के पटना सिटी अंचल क्षेत्र), पटना।	137300.00	81482.00	27460.00	4740.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	22450.00	276432.00
8	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास प्रमंडल, रोहतास-कैमूर, सासाराम।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	160000.00	0.00	220000.00
	कुल	594500.00	438448.00	118900.00	45360.00	11000.00	60000.00	100000.00	160000.00	26588.00	1554796.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹1554796.00 (पंद्रह लाख चौवन हजार सात सौ छियानवे रुपये) मात्र

।

2. उपर्युक्त तालिका के क्र०स०7 में अंकित कार्यालय में श्रीमति पुष्पा कुमारी, कनीय अभियंता के मातृत्व अवकाश अवधि के वकाया वेतन हेतु राशि आवंटित की गई है।

3. स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के बकाये राशि के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होकर राशि का भुगतान किया जायेगा। यह राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

4. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालयों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता होंगे, जिनके द्वारा कोषागार पदाधिकारी संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि की निकासी की जायेगी। साथ ही निकासी के समय यह सुनिश्चित हो ले कि AG के प्राधिकार पत्र से मिलान कर ली गई है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०-48-2217-05-001-0008 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी

परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

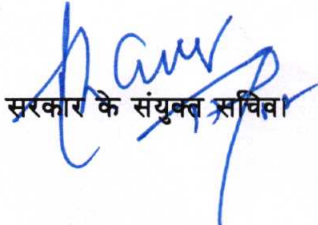
8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति e-संचिका संख्या- **BN/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT** के **Note No.-.....39.....** पर दिनांक- **14/07/2026** को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन **Note No.-43.....** पर दिनांक- **16/07/2026** को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:-वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई-मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।


सरकार के संयुक्त सचिव।